



दिल्ली की लैंड पूलिंग नीति 2018

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

भू-स्वामियों से प्राप्त उत्साहजनक प्रतिक्रिया के आधार पर वेब-पोर्टल पर इच्छा की अभिव्यक्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि **28.02.2022** तक बढ़ा दी गई है।

प्रमुख विशेषताएँ

✓ किसी भी आकार की भूमि वाले भू-स्वामी पूलिंग के लिए आ सकते हैं।

✓ सरल ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया। इस चरण में किसी भी भूमि का समर्पण नहीं किया जाना है।

✓ किसी सेक्टर की 70% समीपवर्ती भूमि के जमा हो जाने के बाद, दि.वि.प्रा., संघटक भूमि मालिकों को एक कंसोर्टियम बनाने के लिए सूचित करेगा।

✓ दि.वि.प्रा। ऐसे क्षेत्रों की योजना प्रक्रिया को तुरंत शुरू करेगा।

✓ जमा की गई भूमि का 60% विकासकर्ता संस्था (डी.ई.) / कंसोर्टियम द्वारा विकसित किया जाएगा।

✓ भूमि का 40 % दि.वि.प्रा./सेवा प्रदाता एजेंसी के लिए जिस पर एकीकृत सड़क नेटवर्क, पार्क एवं खेल के मैदान, खेल परिसर एवं स्टेडियम, कुशल अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदर्शनी केंद्र, सुव्यवस्थित सीवरेज प्रणाली, जल-हरित आधारित संरचना जैसी सुविधाएं निर्मित की जाएंगी।

✓ स्मार्ट सिटी धारणा का एकीकरण, जिससे उच्चता प्रतिलाभ मिलेंगे।

✓ ई.डब्ल्यू.एस. आवास हेतु विशेष प्रावधान।



वर्तमान स्थिति

✓ रजिस्ट्रेशन पोर्टल 104 लैंड पूलिंग गावों के लिए खुली है (जोन जे, के-1, एल, एन, पी-1 और पी-11)

✓ ऑनलाइन पोर्टल पर स्वयं का पंजीकरण करें और दिल्ली के नियोजित विकास में डीडीए के साथ भागीदार बनें

✓ योजना के तहत लगभग 7262 हेक्टेयर भूमि पंजीकृत हो चुकी है।



संपर्क करें

नीति/विनियमों के बारे में अधिक जानकारी और लैंड पूलिंग स्कीम के अंतर्गत भागीदारी हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति के लिए वेब पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण हेतु QR Code स्कैन करें या निम्नानुसार लिंक पर जाएँ:

<https://online.dda.org.in/landpooling/AppForm/default.aspx>



भूस्वामियों को वेब-पोर्टल पर अपने आवेदन जमा करने में सहायता करने के लिए डीडीए परिसर, टीवी टावर के सामने, पीतमपुरा-110088 में स्थित उपनिदेशक (लैंड पूलिंग) कार्यालय में हेल्पडेस्क स्थापित किया गया है।